गैर–योजना

सं.3.16/2005–यूएस (अकादमियाँ)
भारत सरकार
पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय
संस्कृति विभाग

नई दिल्ली, दिनांक

लेखाधिकारी,
वेतन एवं लेखा कार्यालय,
संस्कृति मंत्रालय,
नई दिल्ली

विषय : वर्ष 2005–06 (गैर–योजना) हेतु ललित कला अकादमी (एल के ए), नई दिल्ली को अनुदान जारी करना।

1. मुझे सचिव, ललित कला अकादमी, नई दिल्ली को, अकादमी के अनुमोदित गैर–योजना व्ययों को वहन करने के लिए, गैर–योजना के अंतर्गत अनुदानों की दूसरी किस्त के रूप में 1,60,00,000/- रू. (एक करोड़ साठ लाख रू. मात्र) की धनराशि के भुगतान हेतु राष्ट्रपति की स्वीकृति की सूचना देने का निदेश हुआ है। यह अनुदान आवर्ती प्रकृति का है तथा यह प्रमाणित किया जाता है कि अकादमी ने पूर्व में भारत सरकार द्वारा जारी अनुदानों का उपयोग पहले ही कर लिया है।
2. ऊपर स्वीकृत धनराशि को मुख्य शीर्ष ''2205'' – मांग सं. 20 कला और संस्कृति – 00.102 कला और संस्कृति संवर्धन–03 अन्य सांस्कृतिक संस्थानों को अनुदान 03.03. 31 ललित कला अकादमी, नई दिल्ली, 03.03 सहायता अनुदान (गैर–योजना) 2005–2006 के नामे डाला जाएगा। अकादमी को पूर्व में जारी अनुदान/अनुदानों के संबंध में गैर उपयोग प्रमाण–पत्र लम्बित है।
3. ललित कला अकादमी के लिए अनुदानों की यह किस्त स्वीकृत करते हुए अनुदानों की पिछली किस्त के अप्रयुक्त अधिशेष को ध्यान में रखा गया है।
4. यह अनुदान इस शर्त के अध्यधीन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने विवेकानुसार किसी भी समय ललित कला अकादमी के लेखाओं का लेखा परीक्षण कर सकेंगे। ललित कला अकादमी द्वारा लेखाओं का लेखा परीक्षित विवरण दिनांक 31.12. 2006 तक सरकार को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा। जारी अनुदानों के लिए उपयोग प्रमाण–पत्र ललित कला अकादमी द्वारा वित्तीय वर्ष के समापन के 9 माह के भीतर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा।
5. अकादमी सरकारी निधि से पूर्णतः अथवा मुख्यतः प्राप्त स्थायी अथवा अर्द्ध स्थायी परिसम्पत्तियों के लिए निर्धारित स्वरूप में एक पंजिका तैयार करेगी। प्रति वर्ष अप्रैल माह में पंजिका की एक प्रति ललित कला अकादमी द्वारा मंत्रालय को प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। ललित कला अकादमी द्वारा तैयार परिसम्पत्तियों की पंजिका लेखा परीक्षक द्वारा जाँच हेतु उपलब्ध रहेगी।
6. प्रमाणित किया जाता है कि उनके नियमों एवं विनियमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व हेतु उपयुक्त प्रावधान किए गए हैं तथा पूर्ववर्ती भर्ती के वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने में वास्तविक व्यवहार में इनका पालन किया जाता रहा है।
7. संगठन संघ सरकार की राजभाषा नीति को पूर्णतः कार्यान्वित करेगा, अर्थात् संगठन राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजन हेतु प्रयोग) नियमावली 1976 आदि का पूर्णतः अनुपालन करेगा।
8. यह प्रमाणित किया जाता है कि ललित कला अकादमी हेतु सहायता के पैटर्न वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।
9. यह धनराशि आहरण एवं संवितरण अधिकारी (अनुदान), संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा, अनुदानग्राही के नाम रेखित चेक के माध्यम से निकाली जाएगी। यदि निधियों का इलैक्ट्रॉनिक हस्तांतरण परिचालित है, धनराशि को खाता सं. 2920 यूको बैंक, फिरोज़शाह रोड, नई दिल्ली में हस्तांतरित किया जा सकता है।

10. इसे दिनांक 08.07.2005 के डायरी सं. 1976 आई एफ डी/2005 के जरिए, आई एफ डी की सहमति से जारी किया जाता है। निधियॉं उपलब्ध हैं तथा इन्हें दिनांक 13. 07.2005 की डायरी सं.447/पीएंडबी/2005 के जरिए पी एंड बी अनुभाग द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

(एम. ए. मुरलीधरन)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रति प्रेषित :-

1. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, संस्कृति मंत्रालय (एक अतिरिक्त प्रति सहित)। इस धनराशि का भुगतान सचिव, ललित कला अकादमी, नई दिल्ली को, उनके नाम रेखित चेक के द्वारा किया जाए।
2. सचिव, ललित कला अकादमी, नई दिल्ली।
3. पी एंड बी अनुभाग/आई एफ डी/ए जी सी आर (विशेष प्रकोष्ठ)

(एम. ए. मुरलीधरन)
अवर सचिव, भारत सरकार